



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122024-259604
CG-DL-E-23122024-259604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5106]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2024/पौष 2, 1946

No. 5106]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2024/PAUSHA 2, 1946

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5521(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) को उसके सभी गुटों, शाखाओं और फ्रंट संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री माईकल ज़ोथनखूमा की अध्यक्षता में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फा. सं.11011/03/2024-एनई. V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2024

S.O. 5521(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Justice Michael Zothankhuma, Judge of the Gauhati High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) with all its factions, wings and front organisations as Unlawful Association.

[F. No. 11011/03/2024-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

8268 GI/2024